पत्रांक :–3/यो01–07/2024 (उ0शि0) 73/2045

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 20/06/2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के कय के निमित रू0 4,92,00,000/– (चार करोड़ बेरानवे लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को पुस्तकालय एवं आधारभूत सुविधा उपलबध कराने के उद्देश्य से राज्य स्कीम बजट से विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है। उल्लेखनीय है कि बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद का निर्माण कार्य पूर्ण हो चूका है तथा विश्वविद्यालय को हस्तांतरित है, जिसमें पठन–पाठन कार्य किया जा रहा है। उक्त नवनिर्मित परिसर में एक केन्द्रीय पुस्तकालय भी निर्मित है, जिसमें छात्रहित के लिए पुस्तक एवं जर्नल की उपलब्धता होना आवश्यक है एवं राज्य सरकार छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 340.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

3. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के भवन परिसर में अवस्थित केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के कय के निमित रू0 4,92,00,000/– (चार करोड़ बेरानवे लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024–25 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष– BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड– 21S220203102BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

| स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि | निकासी की गई राशि | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि |
|---|---|---|
| – | – | – |

7. वित विभाग के सकल्प ज्ञापाक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

9. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम–339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

10. राशि की विमुक्ति निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) सामग्री/उपस्करों का क्रय खुली निविदा/ई–टेन्डर/GeM के माध्यम से किया जायेगा। GeM के संबंध में योजना एवं वित्त विभाग के संकल्प 2504/वि0 दिनांक–24.07.2017 पत्रांक 1058/वि0 दिनांक 05.08.2018, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–No-F.1/26/2018-PPD दिनांक 02.04.2019 एवं वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन संकल्प/परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।

(ख) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन में मितव्ययिता बरती जायेगी।

11. उक्त योजना का अनुश्रवण कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के द्वारा किया जायेगा, साथ ही निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी उक्त योजना के कियान्वयन का समय–समय पर समीक्षा करते हुए गहन अनुश्रवण किया जायेगा।

12. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
19/6/24
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3/यो01–07/2024 (उ0शि0) 73/1978 /रॉंची, दिनांक– 20/06/2024

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/24
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3/यो01–07/2024 (उ0शि0) 73/1978 /रॉंची, दिनांक– 20/06/2024

प्रतिलिपि –निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची/कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/24
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।